न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर .ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
28/2024/प्रा.पत्र/2024	29.04.2024	17.04.2025

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री रामप्रसाद साहू पुत्र श्री गोविन्द नारायण साहू निवासी कुण्ड के पास लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स हनुमान किराणा स्टोर मोरला दरवाजा लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड–304503 मोबाईल नं0 9982836236।

2–मैसर्स हनुमान किराणा स्टोर मोरला दरवाजा लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक।

3–श्री रामनारायण खण्डेलवाल पुत्र श्री सुवालाल खण्डेलवाल निवासी बृजलाल नगर जैन मन्दिर के पास मालपुरा जिला टोंक राज0 प्रोपरायटर मैसर्स राष्ट्रीय मिष्ठान भण्डार माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक(राज0) पिनकोड–304502।

4–मैसर्स राष्ट्रीय मिष्ठान भण्डार माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक(राज0)

5–श्री राजाराम विश्नोई पुत्र श्री रामस्वरूप विश्नोई निवासी 20 राधा बाग सब्जी मण्डी वार्ड नं0 20 चौमूं जिला जयपुर पार्टनर्स मैसर्स बीकानेर रसगुल्ला भण्डार 20 राधा बाग सब्जी मण्डी वार्ड नं0 20 चौमूं जिला जयपुर राज0। पिनकोड–303702

6–मैसर्स बीकानेर रसगुल्ला भण्डार 20 राधा बाग सब्जी मण्डी वार्ड नं0 20 चौमूं जिला जयपुर राज0। पिनकोड–303702

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1ता 4 श्री जितेन्द्र कुमार जैन व अप्रार्थी सं0 5व 6 श्री राजाराम विश्नोई स्वयं उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 17/4/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.11.2023 को समय 02:10 पी.एम. पर मैसर्स हनुमान किराणा स्टोर मोरला दरवाजा लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री रामप्रसाद साहू पुत्र श्री गोविन्द नारायण साहू अपने प्रतिष्ठान मैसर्स हनुमान किराणा स्टोर मोरला दरवाजा लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक पर खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पदार्थ गुड, तेल घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री रामप्रसाद साहू पुत्र श्री गोविन्द नारायण साहू को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री रामप्रसाद साहू पुत्र श्री गोविन्द नारायण साहू ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु दुकान में गुड, तेल घी, मसाले कन्फैक्शनरी, सोन पपडी, नमकीन व अन्य खाद्य पदार्थ के साथ साथ दुकान की रैंक में लगभग 24 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 किलोग्राम **गुलाब जामुन (सुपर परीराज ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेताश्री रामप्रसाद साहू पुत्र श्री गोविन्द नारायण साहू को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर खाद्य कारोबारकर्ताश्रीरामप्रसाद साहू पुत्र श्री गोविन्द नारायण साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को सुपुर्द कर बताकर कि यह **गुलाब जामुन (सुपर परीराज ब्राण्ड)** वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, दुकान की रैक में लगभग 24 मूल पैक पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 1–1 किलोग्रम में से **गुलाब जामुन (सुपर परीराज ब्राण्ड)**जिसके बैच नं0 पीआर 08/23 एवं पैकिंग की दिनांक 24.08.2023 थी, को ज्यों का त्यों 1–1 किलोग्राम के 4 मूल पैंक पैक्ड अवस्था में वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **गुलाब जामुन (सुपर परीराज ब्राण्ड)** की 4 मूल पैंक 1–1 किलोग्राम पैक को ज्यों का त्यों अलग–अलग बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3908 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3908 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राज0 जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री रामप्रसाद साहू पुत्र श्री गोविन्द नारायण साहू मैसर्स हनुमान किराणा स्टोर मोरला दरवाजा लाम्बाहरिसिंह तह. मालपुरा जिला टोंक बतौर वारन्टी मैसर्स राष्ट्रीय मिष्ठान भण्डार माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक का बिल प्रस्तुत किया एवं मैसर्स राष्ट्रीय मिष्ठान भण्डार माणक चौक बाजार मालपुरा जिला टोंक ने बतोर वारन्टी मैसर्स बीकानेर रसगुल्ला भण्डार 20 राधा बाग सब्जी मण्डी वार्ड नं0 20 चौमूं जिला जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य प्रदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1095 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एलएस/4554/एक्ट/2023/4583 दिनांक 10.11.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **गुलाब जामुन (सुपर परीराज ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011के अनुसार **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1ता 4 की ओर से उनके अभिभाषक श्री जितेन्द्र कुमार जैन उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने वारन्टी बिल के आधार पर उक्त खाद्य प्रदार्थ निर्माता फर्म से क्रय कर उसी अवस्था में विक्रय किया था अतः अप्रार्थी सं0 1 ता0 4 को दोष मुक्त किया जावें। निर्माता फर्म की ओर से श्री राजाराम विश्नोई स्वयं उपस्थित हुये एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **गुलाब जामुन (सुपर परीराज ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे, वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों को पूरा नहीं करता है, उक्त **गुलाब जामुन (सुपर परीराज ब्राण्ड)** जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 ता 4, निर्माता फर्म के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया**गुलाब जामुन (सुपर परीराज ब्राण्ड)**का नमूना जांच में **अवमानक(Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने उक्त खाद्य पदार्थ पैक्ड अवस्था में निर्माता फर्म से खरीदकर उसी अवस्था में बैचा है इसलिए अप्रार्थी सं0 1 ता 4 को दोषमुक्त किया जाता है। अप्रार्थी सं0 5 व 6 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दरअनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/4/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0